

बिहार सरकार


वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक 22-2-18

सं० एम 4 48/2012(खंड 1).....1407...../वि०, वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-9230/वि० दिनांक 27.11.2017 यथा संशोधित बिहार वित्त नियमावली के नियम 30(xx)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से करने हेतु दिनांक 01.04.2018 की तिथि नियत की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(उदयन मिश्रा)

संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 22-2-18

ज्ञापांक:-एम 4 48/2012(खंड 1).....1407...../वि०


प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

  
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 22-2-18

ज्ञापांक:-एम 4 48/2012(खंड 1).....1407...../वि०


प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी कोषाध्यक्ष पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 22-2-18

ज्ञापांक:-एम 4 48/2012(खंड 1).....1407...../वि०

प्रतिलिपि:-ई गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव